158

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय म0प्र0 राजस्व मण्डल

ग्वालियर (म0प्र0)

विशेषांकित

III/निगरानी/रीवा/भू.रा/2018/0687

श्री दुष्यन्त कुमार सिंह एड. द्वारा आज दि. 25/1/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 29-1-18 नियत। क्लर्क ऑफ कोर्ट 25-1-18 राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1– राजेन्द्र बहादुर सिंह तनय स्व0 श्री वंशबहादुर सिंह

2– जगजाहिर सिंह तनय स्व0 श्री वंशबहादुर सिंह

3– पुष्पेन्द्र सिंह तनय स्व0 श्री जगपाल सिंह

4– महेन्द्र सिंह तनय स्व0 श्री जगपाल सिंह

सभी निवासी ग्राम बरहठा, तहसील जवा, जिला रीवा (म0प्र0)

------निगरानीकर्तागण / आवेदकगण

बनाम

1– बाल्मीक प्रसाद तनय श्री कामता प्रसाद, निवासी ग्राम भनिगंवा, तहसील जवा, जिला रीवा (म0प्र0)

2– शासन म0प्र0 — — — तरतीबी पक्षकार

-------उत्तरदातागण / अनावेदकगण

दुष्यन्त कुमार सिंह
एडवोकेट
म.प्र. उच्च न्यायालय एवं रेवेन्यू बोर्ड
ग्वालियर-3

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार, तहसील जवा, जिला रीवा (म0प्र0) के राजस्व प्रकरण कमांक–2 / अ–12 / 2017–18 बाल्मीक प्रसाद विरूद्ध शासन म0प्र0 आदेश दिनांक 10 / 12 / 2017

निगरानी आवेदन अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई0

25.1.18 आरी (रा.अ.) ग्वालियर

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य :–

यह कि प्रकरण के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम लूक नम्बर–1, तहसील जवा, की भूमि खसरा क0–1111 / 4 का सीमांकन किये जाने हेतु आवेदक, अनावेदक क0–1 द्वारा सक्षम

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/रीवा/भूरा/2018/0687

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29.01.18	आवेदक के अधिवक्ता श्री डी0 एस0 चौहान उपस्थित । अनावेदक शासन की ओर से श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील जवा जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 2/अ–12/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 10.12.17 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। निगरानी में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया । अध्ययन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया है कि आराजी नम्बर 1111 के कुल 5 वटांकन नम्बर 1111/1, 1111/2, 1111/3/1, 1111/3/2, 1111/4 एवं आराजी नम्बर 1093 के कुल बटांकन अलग अलग भूमिस्वामी के नाम दर्ज है। किन्तु बटांकन नम्बरों का नक्शा तरमीम नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में मात्र 1111/4 का सीमांकन की कार्यवाही व पुष्टि किया जाना व विवादित भूमि पर खड़ी भूमि पर सीमांकन किया जाना प्रकिया व प्रावधानों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को विधिवत सूचना भी नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/अ–12/2017–18 में पारित आदेश विधि संगत न होने से निरस्त किया जाता है। तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के	

साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह विवादित भूमि पर खडी फसल के कट जाने के उपरांत सभी सरहदी कृषकों को विधिवत सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये सीमांकन की कार्यवाही पुनः करें। उभयपक्ष सूचित हों।आदेश की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजाजावे।

सदस्य